भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5340
03 अप्रैल, 2025 को उत्तर देने के लिए

महाराष्ट्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

†5340. श्रीमती स्मिता उदय वाघ:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग द्वारा विशेष रूप से जलगांव में किसानों और कृषि प्रसंस्करण व्यवसायों को समर्थन देने के लिए वर्तमान में कौन सी प्रमुख योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं;

(ख) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) और अन्य केंद्रीय योजनाओं ने जलगांव में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को किस प्रकार लाभान्वित किया है और इन योजनाओं का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) जलगांव में मूल्य संवर्धन बढ़ाने और कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए फूड पार्क, कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या जलगांव में खाद्य प्रसंस्करण स्टार्टअप, एमएसएमई और किसान-उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कोई आगामी पहल या विशेष प्रोत्साहन की योजना बनाई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) जलगांव में आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए उद्यमियों और सहकारी समितियों के लिए क्या वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध है और वे इन लाभों को आसानी से किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) महाराष्ट्र के जलगांव सहित पूरे देश में केंद्रीय क्षेत्र की "प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) स्कीम", केंद्रीय क्षेत्र की "खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई)" और केंद्र प्रायोजित "प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई)" योजना लागू कर रहा है। मंत्रालय देश भर में ऐसे उद्योग स्थापित करने के लिए किसानों और कृषि प्रसंस्करण व्यवसायों सहित उद्यमियों को अनुदान/सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये योजनाएँ क्षेत्र विशेष नहीं हैं बल्कि माँग आधारित हैं।

(ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय महाराष्ट्र के जलगांव जिले सहित देश भर में अपनी केंद्रीय क्षेत्र पीएमकेएसवाई योजना, पीएलआईएसएफपीआई योजना और केंद्र प्रायोजित पीएमएफएमई योजना के माध्यम से संबंधित योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, विभिन्न प्रकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए भावी उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

इन योजनाओं का उद्देश्य खेत से लेकर खुदरा बिक्री केन्द्र तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करना है, जिसमें भंडारण, परिवहन, उत्पाद गुणवत्ता बढ़ाना और सुरक्षा मानक

आदि शामिल हैं, ताकि किसानों को बेहतर लाभ मिल सके और रोजगार के बड़ी संख्या में अवसर पैदा हो सकें, कृषि उपज की बर्बादी कम हो, प्रसंस्करण स्तर बढ़े।

अब तक, 28 फरवरी , 2025 तक , खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने महाराष्ट्र में पीएमकेएसवाई की संबंधित घटक योजनाओं के अंतर्गत 189 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को मंजूरी दी है, इनमें से 4 परियोजनाएं जलगांव जिले में स्थित हैं।

महाराष्ट्र में पीएमएफएमई योजना के तहत 28 फरवरी , 2025 तक कुल 22,167 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को सहायता के लिए मंजूरी दी गई है, जिनमें से 935 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम जलगांव जिले में स्थित हैं ।

अब तक, जलगांव जिले में स्थित 1 परियोजना में से 40 खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों को महाराष्ट्र में पीएलआईएसएफपीआई योजना की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत 28 फरवरी, 2025 तक सहायता के लिए मंजूरी दी गई है ।

उद्योग मंत्रालय निवेश को प्रोत्साहित करने और मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए सेमिनारों, कार्यशालाओं, मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन, सह-प्रायोजन और भागीदारी कर रहा है।

(ग): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय , केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना " प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना योजना" की प्रासंगिक घटक योजनाओं के तहत अनुदान के रूप में ऋण से जुड़ी वित्तीय सहायता (पूंजी सब्सिडी) के माध्यम से मेगा फूड पार्क, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर और एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना की स्थापना को प्रोत्साहित करता है जिसके तहत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां सामान्य क्षेत्रों में पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमोटरों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और एसएचजी के लिए पात्र परियोजना लागत के 50% की दर से सब्सिडी के लिए पात्र हैं, जिसमें प्रति परियोजना अधिकतम 10.00 करोड़ रुपये है। ये घटक योजनाएं महाराष्ट्र के जलगांव जिले सहित देश में फसलोपरांत नुकसान को कम करने तथा खाद्य उत्पादों के मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने में मदद करती हैं।

(घ) और (ङ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए , महाराष्ट्र के जलगांव जिले सहित देश भर में संबंधित योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, विभिन्न प्रकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए संबंधित स्टार्टअप , सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) सहित संभावित उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के उद्यमियों को भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजनाओं के तहत प्रोत्साहित किया जाएगा । इन योजनाओं के तहत उपलब्ध प्रोत्साहनों का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

*****

अनुबंध

दिनांक 03 अप्रैल , 2025 को उत्तर हेतु "महाराष्ट्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग" के संबंध में सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5340 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहन

क्र. सं.	**घटक योजना**	**सामान्य क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए योजना लाभ (अनुदान सहायता)**	**दुर्गम क्षेत्रों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों की परियोजनाओं के लिए योजना के लाभ (अनुदान सहायता)**
1.	एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना	पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक के अध्यधीन]	पात्र परियोजना लागत के 50% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक के अध्यधीन]
2.	खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमताओं का सृजन/विस्तार	पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक के अध्यधीन]	पात्र परियोजना लागत के 50%की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक के अध्यधीन]
3.	कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए अवसंरचना	सामान्य क्षेत्र में पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक के अध्यधीन]	पात्र परियोजना के 50% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक के अध्यधीन]
4.	ऑपरेशन ग्रीन्स	एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से अनुदान सहायता दी जाएगी, अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना ₹15 करोड़ होगी; तथा स्टैंडएलोन फ़सलोत्तर अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना ₹10 करोड़ होगी।	एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत के अधिकतम 50% की दर से अनुदान सहायता दी जाएगी, अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना ₹15 करोड़ होगी; तथा स्टैंडएलोन फ़सलोत्तर अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना ₹10 करोड़ होगी।
5.	खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन - खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ	सरकारी संगठनों के लिए 100% अनुदान सहायता	निजी संगठनों/संस्थाओं के लिए: पात्र लागत के 70% की दर से अनुदान सहायता।

		निजी संगठनों/संस्थाओं के लिए: पात्र लागत के 50% की दर से अनुदान सहायता।	
6.	मानव संसाधन एवं संस्थान-अनुसंधान एवं विकास	सरकारी संगठनों के लिए - उपकरण लागत, उपभोग्य सामग्रियों का 100% की दर से अनुदान, निजी संगठनों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों के लिए उपकरण लागत के 50% की दर से अनुदान।	सरकारी संगठनों के लिए - उपकरण लागत, उपभोग्य सामग्रियों का 100% की दर से अनुदान निजी संगठनों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों के लिए उपकरण लागत का 70% की दर से अनुदान।

पीएलआईएसएफपीआई योजना के तहत उपलब्ध सहायता

i. योजना के श्रेणी-I, श्रेणी-II और मिलेट आधारित उत्पाद घटकों के अंतर्गत प्रोत्साहन का दावा करने के लिए लाभार्थी को न्यूनतम वार्षिक बिक्री वृद्धि 10% प्राप्त करनी चाहिए। श्रेणी-I घटक के अंतर्गत, कंपनियों को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध निवेश करना होगा। यदि कोई कंपनी 2023-24 के अंत तक प्रतिबद्ध निवेश नहीं करती है , तो वह योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगी।
ii. श्रेणी-III, अर्थात ब्रांडिंग और विपणन घटक के अंतर्गत, कोई कंपनी विदेश में ब्रांडिंग और विपणन पर किए गए व्यय के 50% की दर से वित्तीय प्रोत्साहन के लिए पात्र है, जो खाद्य उत्पादों की बिक्री के अधिकतम 3% या प्रति वर्ष 50 करोड़ रुपये , जो भी कम हो, के अध्यधीन है। पांच वर्षों की अवधि में न्यूनतम व्यय 5 करोड़ रुपये होना चाहिए।

पीएमएफएमई योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को उपलब्ध सहायता का विवरण

(i) *व्यक्तिगत/समूह श्रेणी सूक्ष्म उद्यमों को सहायता:* पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से ऋण-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी, अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये प्रति इकाई;

(ii) *बीज पूंजी के लिए स्वयं सहायता समूहों को सहायता:* कार्यशील पूंजी और छोटे औजारों की खरीद के लिए खाद्य प्रसंस्करण में लगे स्वयं सहायता समूहों के प्रत्येक सदस्य को 40,000 रुपये की दर से बीज पूंजी दी जाएगी , जो कि स्वयं सहायता समूहों के संघ के लिए अधिकतम 4 लाख रुपये तक होगी।

(iii) *सामान्य अवसंरचना के लिए सहायता:* एफपीओ, एसएचजी, सहकारी समितियों और किसी भी सरकारी एजेंसी को सामान्य अवसंरचना स्थापित करने के लिए सहायता देने के लिए 35% की दर से ऋण से जुड़ी पूंजी सब्सिडी, जो अधिकतम 3 करोड़ रुपये होगी। सामान्य अवसंरचना अन्य इकाइयों और आम जनता के लिए भी उपलब्ध होगी, ताकि वे क्षमता के एक बड़े हिस्से के लिए किराये के आधार पर इसका उपयोग कर सकें।

(iv) *ब्रांडिंग और विपणन सहायता:* एफपीओ/एसएचजी/सहकारी समूहों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी को ब्रांडिंग और विपणन के लिए 50% तक अनुदान ।

(v) *क्षमता निर्माण:* इस योजना में उद्यमिता विकास कौशल (ईडीपी+) के लिए प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और उत्पाद विशिष्ट कौशल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्यक्रम को संशोधित

*****